



## न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2018 पुनरीक्षण

निगमनी-4272/2018/छतरपुर/भू.रा.

1. राममिलन पुत्र चंदी धोबी
  2. रामकुमार पुत्र चन्दी धोबी
- निवासीगण ग्राम हंसपुरा तहसील  
लवकुशनगर (लौंडी) जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. बन्दी पुत्र रामसहाय पाठक
  2. छंगा पुत्र रामचरन पाठक
  3. माधवप्रसाद पुत्र हरचरन पाठक
  4. जगमोहन पुत्र हरचरन पाठक
  5. देवेन्द्र कुमार पुत्र हरचरन पाठक
- सभी निवासीग्रण ग्राम हंसपुरा तहसील  
लवकुश नगर (लौंडी) जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

श्री. सुकेश भार्गव कानि  
द्वारा आज दि. 7-7-18 को  
प्रस्तुत! प्रारम्भिक कार्य के  
दिनांक 20-7-18 मिया।

न्याय  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

WS  
सुकेश भार्गव  
07-7-18 एडवाकेट  
ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा  
प्र.कं. 263/स्व.प्रे.निग./2004-05 में आधारित आदेश दिनांक  
24.01.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा  
50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि -

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4272/2018/छतरपुर/भू.रा.

राममिलन विरूद्ध बन्दी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-12-2018	<p>इस प्रकरण में दिनांक 15-11-2018 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है । अंतिम आदेश के पश्चात प्रकरण के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि उक्त आदेश में आयुक्त सागर संभाग सागर के स्थान पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग टंकित हो गया है । अतः उक्त टंकित त्रुटि का सुधार करते हुए आयुक्त नर्मदापुरम के स्थान पर आयुक्त सागर संभाग पढ़ा जाये ।</p> <p>यह आदेश पत्रिका मूल आदेश दिनांक 15-11-2018 का अंग होगी ।</p>	<p>(आर.के. जैन) 18.12.18 सदस्य</p>